राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 52/2020

GCMS No. 2020/00180

मांगेलाल पुत्र श्री मातादीन आयु 73 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी धीरजपुरा पो0 रामपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादी

ब–ना–म

1. गीता देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द्र आयु 60 वर्ष
2. योगेश पुत्र श्री कैलाश चन्द्र आयु 38 वर्ष
3. राकेश पुत्र श्री कैलाश चन्द्र आयु 40 वर्ष
4. सुरेश चन्द्र पुत्र श्री मातादीन आयु 55 वर्ष
5. सरिता देवी पत्नी पवन कुमार आयु 43 वर्ष जाति ब्राहमण निवासीगण धीरतपुरा पो0 रामपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. पिंकी पुत्री कैलाश चन्द्र पत्नी श्री मुकेश कुमार आयु 35 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी भूदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
7. प्रबंधक बड़ौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. प्रबंधक इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा कोलिहान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
9. भू स्वामी जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक 06–12–2022

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19–07–2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम धीरजपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या 35 खसरा नंबर 167, 170, 30, 85 कुल किता 4 कुल रकबा 1.45 है. में वादी का 1/3 हिस्से का, प्रतिवादिया सं. 5 का 1/3 हिस्से का तथा खाता संख्या 36 खसरा नंबर 107, 13, 31, 36, 41, 54, 56, 87, 9 कुल किता 9 कुल रकबा 3.40 है. में वादी का 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 4 का 139/1020 हिस्से का, [illegible] सं. 5 का 67/340 हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान [illegible] का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] कास्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2022/3404 दिनांक 16.09.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–09–2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–09–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–8'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–09–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–8'' व ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–09–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–8'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–09–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–8'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

मांगेलाल

ब–ना–म

गीता देवी आदि

दावा बाबत **खाता विभाजन**

मुकदमा नम्बर :– **52/2020**

निर्णय दिनांक :– **06–12–2022**

वादी की ओर से **श्री कृष्ण कुमार वर्मा एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 4 व 5 की ओर से **श्री रोशन लाल सैनी एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **06–12–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–09–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–8" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–09–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–8" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **06–12–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner